

24/11/19

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक कोर्ड/2018/626 को अनुपालना में यह प्रकरण न्यायालय डेप्युटी अधिकारी जैतारण से प्राप्त हुआ है। जो दर्ज रजिस्टर होकर उभय पक्ष सूचित हो। पत्रावली वालों का क्र. क्र. दि. 3-12-19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

10¹²/19

वकील मज उरि. नं. 01 के पत्रावली वलकी कब बाद विज्ञापन करके का जापड केश करने में पत्रांक का केश हुई।

शुभराज
10-12-19

वकील मज उरि. नं. 01 के जापड केश किया कि उक्त कतवाब के पुराने के राजा नरगत जलसी इन्फे 2 वरि के जे के पां हिनत श्री राजा नरगत भाकिठ टंकट उरि नरगत के) इतलिके उक्त कतवाब के बाद उरि उरि विज्ञापन का केश करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए उरि उरि करवाव करते है। इतलिके बाद के उरि विज्ञापन रखित करवाव) उरि नं. 2 के उरि के उरि उरि वकील उरि के उरि करके के इतलिके के) जापड का कि है।

पत्रावली का कालोन्ड किया जाय। उक्त उरिगत द्वारा जापड के इतलिके उरिगत वकील मज उरि उरि उरि केश करके के उरिगत सुरक्षित रखते हुए उरिगत का बाद उरि विज्ञापन रखित किया जाय है। पत्रावली के फल उरिगत उरिगत के भू है। उरि उरिगत उरिगत उरिगत उरिगत उरिगत उरिगत है।

सहायक कलक्टर

